


28 05
2019

अपीलाट अड्डा महामम अपील अपीलाट न तेलीनफरत वासी
के विरुद्ध RTI Act 2005 के तहत सूचना उपलब्ध नही करने
जाते पर प्रत्युत की है। जिला कलक्टर धौलपुर के आदेशांक पं. 11
राज. समक RTI/2019/3377 दिनांक 15/5/18 से RTI Act
2005 की धारा 5(1), 5(2) व 19(1) के मन्तव्य राखकर विमान ले
सावधान सूचना प्राप्त करत हेतु लोक सूचना अधि. तेलीनफरत वासी
के मिल उपलब्ध/विश्रांती वासी के प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त
किया है। तेलीनफरत वासी के विरुद्ध उपलब्ध/विश्रांती वासी प्रथम
अपील सुनते हेतु प्रथम अपील अधिकारी है। अतः अपील
अपीलाट प्रथम अपील अधिकारी के सामान्यतः की जाती है।
मूल प्रत्युत उपलब्ध/विश्रांती वासी को मिल गई जा रहे अपीलाट को
सुचित विभा प्रवेदि वदमपील के मिलतमक हेतु 14/5/18 500
वासे के लपक कर। प्रत्युत की फांदा सही नकां संकेत की जाये।
प्रत्युत नफरत कर की जाये।


जिला कलक्टर
धौलपुर